

प्रपत्र

बलविन्दर कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सका सं

निदेशक,
महिला कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक दिनांक
संख्या 1489/0
दिनांक 01/12/10

महिला एवं बाल विकास अनुभाग- 1

लखनऊ : दिनांक : 03 दिसम्बर, 2010

विषय- समेकित बाल संरक्षण योजना (INTEGRATED CHILD PROTECTION SCHEME) के अंतर्गत राज्य परियोजना सहायता यूनिट (STATE PROJECT SUPPORT UNIT) के गठन से संबंधित।

CPD

सहायक

समेकित बाल संरक्षण योजना सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के उपरान्त प्रदेश में दिनांक 24-11-2010, प्रभावी हो गयी है। योजना संचालन के प्रथम चरण में राज्य परियोजना सहायता यूनिट (STATE PROJECT SUPPORT UNIT) के गठन की कार्यवाही की जानी है, जिसमें समेकित बाल संरक्षण योजना के मानक के अनुरूप निम्नलिखित पदों पर संविदा पर नियुक्ति की जानी है-

3/12/10

Photocopy

- | | | |
|----|----------------------------|-----|
| 1- | कार्यक्रम प्रबन्धक | - 1 |
| 2- | परियोजना अधिकारी | - 2 |
| 3- | प्रशासनिक अधिकारी | - 1 |
| 4- | लखाधिकारी | - 1 |
| 5- | लखाका | - 1 |
| 6- | सहायक सह कम्प्यूटर प्रचालक | - 2 |

उक्त राज्य परियोजना सहायता यूनिट भारत सरकार के कर्षण परियोजना सहायता यूनिट के अंतर्गत कार्य करेगी तथा यूनिट के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय प्राविधान भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अतः तात्कालिक प्रभाव से राज्य परियोजना सहायता यूनिट के गठन एवं संचालित करने हेतु समेकित बाल संरक्षण योजना के प्राविधानों के अन्तर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

गि/स

बलविन्दर कुमार
(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या- 4933(1)/60-1-10-1/13(71)/06, तददिनांक।

प्रतिनिधि- निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. समस्त उपमुख्य परिवेक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिला परिवेक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड फाईल हेतु।

अज्ञात

बलविन्दर कुमार
प्रमुख सचिव

CPD